
उप-बिधियां



ँउप-विधियां BYE-LAWS



राष्ट्रीरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, NEW DELHI

संचार विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, न्यू मेहरौली रोड, मुनीरका, नई दिल्ली - 1100 ह७ द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । Printed and published by the Department of Communication, NIHFW, New Delhi-110 067.

उप-विधिया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के नियम-विनियमों के नियम-1७ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रबन्ध निकाय (गवर्निंग बॉडी) द्वारा निम्नांकित उप-विधियों की रचना की जाती है, अथार्तः

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

प्रथम भाग - सामान्य

१ - संक्षिप्त नाम

- इन उप-विधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान उप-विधियां कहा जा सकेगा।
- २- इन्हें उस तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा, जिस तिथि को इन्हें प्रवन्ध - निकाय द्वारा विधिवत् रूप से पारित कर दिया जाता है।

२- परिभाषार्थे

आवश्यकतानुसार संदर्भ की भिन्नता को छोड़कर, इन उप-विधियों के अनुसार:

- क- "लेखा अधिकारी" से अभिष्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का लेखा अधिकारी।
- ख- "वैकल्पिक उपाध्यक्षा" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य
 एवं परिवार कल्याण संस्थान के प्रबन्ध-निकाय का
 वैकल्पिक उपाध्यक्षा।
- ग "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन उप-विधियों से जुड़े परिशिष्ट

^{*} २० जुलाई , १९७९ को प्रबन्ध-निकाय द्वारा पारित किया गया

- घ- संस्थान के अन्तर्गत किसी पद से सम्बद्ध "नियुक्ति-प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, उस, पद पर नियुक्ति करने बाला सक्षम प्राधिकारी।
- च- "उप-निदेशक (प्रशा०)" से अभिष्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणृसंस्थान का उप-निदेशक (प्रशासन)
- छ "अध्यक्ष" से अभिप्रेत हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार * कल्याण संस्थान के प्रबन्ध-निकाय का अध्यक्षा।
- ज- "निदेशक" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक।
- भा- "कर्मचारी" से अभिप्रेत हैं संस्थान में किसी भी पद पर अथवा किसी भी हैसियत में सेवारत व्यक्ति।
- ट- "मौजूद कर्मचारी"- से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो भूतपूर्व केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान में २१ मार्च , १९६५ को सरकारी कर्मचारी के रुप में सेवारत था तथा जिसने, उक्त संस्थान का इण्डियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (२१), १९६० के अन्तर्गत पंजीकरण होने के पश्चात उक्त संस्थान में नौकरी पर बने रहने के पक्ष में इच्छा व्यक्त की थी।
- ठं- "प्रबन्ध-निकाय" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का प्रबन्ध-निकाय।
- ड- "सरकार" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार।
- इ- "संस्थान" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
- त "नियम" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के नियम - विनियम ।

- थ- "अनुभाग-अधिकारी" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का अनुभाग-अधिकारी।
- द "स्थायी और तदर्थ समितियों" से अभिप्रेत है संस्थान के नियम-विनियमों के नियम २० तथा २१ के अन्तर्गत गठित क्रमशाः स्थायी और तदर्थ समितियां।
- ध- "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के प्रबन्ध-निकाय का उपाध्यक्षा।
- न- "वर्ष" से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष।

द्वितीय भाग-कार्य संचालन की उप-विधियां

3- अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव के अधिकार तथा कर्तव्यः

अध्यक्ष तथा सद स्य-सचिव द्वारा केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा तथा केवल वही कार्य निष्पादित किये जायेंगे जो अधिकार एवं कार्यकलाप अध्यक्षा तथा सदस्य-सचिव के लिए संस्थान के नियम-विनियमों तथा इन उप-विधियों में विहित हैं।

४- प्रबन्ध निकाय की बैठकें:

- 1- संस्थान के कार्य संचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा जितनी बार आवश्यक सम का जाये, उतनी बार प्रबन्ध-निकाय की बैठकों की जा सकती हैं, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अवश्य की जायेगी।
 - २ क प्रबन्ध निकाय की बैठकें अध्यक्षा द्वारा निश्चित स्थान , तिथि तथा समय पर की जायेंगी।
 - ख- प्रबन्ध निकाय की बैठकों संबंधी सभी कार्यवाहियों के ब्योरे की प्रविष्टि सदस्य-सचिव द्वारा इस उद्देश्य हेतु रखी जाने वाली कार्यवृत-पुस्तक में की जायेगी और प्रत्येक कार्यवृत पर, इसकी यथाविधि पुष्टि हो जाने के पश्चात, आगामी बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।
 - 3- प्रबन्ध निकाय की साधारण बैठकें बुलाने के लिए सदस्य-सिच्च द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों को बैठक होने की तिथि से स्पष्ट २१ दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसमें बैठक के स्थान, तिथि तथा समय का उल्लेख किया जायेगा और यूदि यह नोटिस डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे डाक-प्रमाणित भेजा जायेगा। बैठक की कार्य सूची भी बैठक के नोटिस के

साथ भेजी जायेगी तथा जहां ऐसा कर पाना संभव न हो उस स्थिति में कार्यसूची 'बैठक होने से कम से कम ौ० दिन पूर्व भेजी जायेगी , यदि डाक द्वारा भेजी, जाती है तो इसे डाक-प्रमाणित भेजा जायेगा।

- ४- संस्थान से सम्बद्ध तात्कालिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय प्रबन्ध निकाय की कोई भी असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।
- ५- प्रबन्ध निकाय की असाधारण बैठकें बुलाने के लिए सदस्य-सचिव द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों को बैठक होने की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसमें बैठक के स्थान, तिथि तथा समय का उल्लेख किया जायेगा और यदि नोटिस डाक द्वारा अथवा तार द्वारा भेजा जाता है तो इसे डाक-प्रमाणित भेजा जायेगा। बैठक की कार्यसूची, बैठक होने की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जायेगी और यदि इसे डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे डाक-प्रमाणित भेजा जायेगा।
- E- प्रबन्ध-निकाय की असाधारण बैठक, प्रबन्ध निकाय के कम से कम चार सदस्यों द्वारा लिखित रुप से अनुरोध करने पर भी, उनका अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक मास की अविध के भीतर बुलाई जायेगी। बैठक की मांग के साथ बैठक के उद्देश्य का उल्लेख भी किया जायेगा।
- ७- प्रबन्ध-निकाय की किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष द्वारा अथवा यदि वह भी उपस्थित न हो तो वैकल्पिक-उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षाता की जायेगी। अध्यक्षा, उपाध्यक्षा तथा वैकल्पिक-उपाध्यक्षा तीनों के अनु-पस्थित होने की स्थिति में उस बैठक के कार्य संचालन हैंतु

उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से ही एक सदस्य को अध्यक्ष के रुप में चुना जायेगा।

- ८ अध्यक्षा/ उपाण्यक्ष अथवा व्यक्तिगत रूप से पीठासीन सदस्य के अति रिक्त बैठक में उपस्थित प्रबन्ध निकाय के पांच सदस्यों से बैठक का कोरम पूरा माना जायेगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षा दोनों की अनुपस्थिति में प्रबन्ध निकाय की उक्त बैठक में उपस्थिति सात सदस्यों से कोरम पूरा माना जायेगा।
- ९ बैठक से पूर्व अथवा बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यसूची मे पहले से ही सम्मिलित की गई मदों के साथ कार्य-व्यापार की नई अनुपूरक मदें भी सम्मिलित की जा सकती हैं, तथा इन अनुपूरक मदों पर भी बैठक में विचार किया जायेगा।
- १०- प्रबन्ध-निकाय की बैठक में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्य द्वारा सदस्य-सचिव को साधारण बैठक होने की तिथि से सात दिन पूर्व तथा असाधारण बैठक की तिथि से पांच दिन पूर्व लिखित रुप से नोटिस प्रस्तुत किया जायेगा। जब इस प्रकार का नोटिस दे दिया जाता है तो सदस्य-सचिव द्वारा तत्काल रूप से यह प्रस्ताव सभी सदस्यों में परिपिशत कर दिया जायेगा तथा इसे कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- ११- बैठक में किसी सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।
- १२- प्रबन्ध-निकाय के सभी निर्णय बहुमत से पारित किये जायेंग। मतों की संरव्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जायेगा।

- 13- ऐसा कोई भी कार्य जिसे प्रबन्ध निकाय द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक हो वह कार्य भी सभी सदस्यों को पश-सूचना भेज कर निष्पादित किया जायेगा तथा इस प्रकार से भेजा गया एवं प्रबन्ध निकाय के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित किया गया प्रस्ताव उसी प्रकार प्रभावी तथा लग्गू माना जायेगा जिस प्रकार प्रबन्ध निकाय की नियमित बैठक में पारित इस प्रकार का कोई अन्य प्रस्ताव। वह प्रस्ताव तथा उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा प्रबन्ध निकाय की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- 1४- किसी भी तुरंत मामले (अर्जेन्ट मैटर) के निपटान हेतु, संबंधित मामले पर अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है तथा उस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा प्रबन्ध निकाय की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- १५-केवंल ऐसे मामले की छोड़कर जिसके बारे में अध्यक्ष अथवा सरकार द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उस विषय पर पुनः विचार करना संस्थान के हित में है, अन्य कोई भी ऐसा मामला, जिसे प्रबन्धः निकाय की बैठक में एक बार निपटाया जा चुका हो उसे एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक पुनः विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

५- प्रबन्ध निकाय के आदेशों एवं निर्णयों का अधिप्रमाणन

प्रबन्ध निकाय के सभी आदेशों एवं निर्णयों को निदेशक, उप-निदेशक (प्रशा०) अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रबन्ध निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के इस्ताक्षारों द्वारा अधिप्रमाणित माना जायेगा।

६- सदस्य-पंजी

संस्थान द्वारा प्रबन्ध निकाय के सभी सदस्यों की पंजी रखी जायेगी, जिसमें उनके पत्ते तथा व्यवसाय का उत्लेख किया जायेगा तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। यदि कोई सदस्य अपना निवास स्थान बदलता है तो वह अपने नये पत्ते की सूचना सदस्य-सचिव को देगा, तथा सदस्य-सचिव द्वारा उसके नये पत्ते को सदस्यों की पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा। यदिं कोई सदस्य अपना नया पत्ता सूचित करने मैं असमर्थ रह्मा है तो सदस्य पंजी में लिखे उसके पत्ते को ही इस उद्देश्य के लिए पता समभा जायेगा।

७ - प्रबन्ध-निकाय, स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों के सदस्यों को भत्ते।

- एबन्ध-निकाय , स्थायी सिम तियों तथा तदर्थ सिमिति यों के सदस्यों को बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते को छोड़कर किसी प्रकार का वेतन, फीस, पारि-श्रमिक अथवा कोई अन्य भत्ता नहीं मिलेगा।
- २- प्रबन्ध-निकाय, स्थायी सिमितियों तथा तदर्थ सिमितियों के सदस्य, यदि वे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी हैं तो वे सामान्यतः अपना यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता निर्धारित दरों पर अपने वैतन प्राप्ति के म्रोत से प्राप्त करेंगे। यदि भुगतान करना अपेक्षित हो तो संस्थान द्वारा सम्बद्ध सरकार/व्यक्ति को इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- उप-उपविधि(२) में उल्लिखित को छोड़कर, प्रबन्ध-निकाय, स्थायी एवं तदर्थ समितियों के सदस्यों के मामले में यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते का भुगतान पूरक

नियम - १९० के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा इसके अन्तर्गत जारी किये गये प्रशासनिक आदेशों एवं निर्णयों के अनुसार किया जायेगा।

४- निदेशक द्वारा , जहां अन्यथा आनु जीय न हो , प्रबन्ध निकाय , स्थायी एवं तदर्थ समितियों के सदस्यों को विशेष कारणों से हवाई याजा की अनुमित दी जा सकती है । इस प्रकार की याजा के लिए उन्हें याजा भत्ते का भुगतान केन्द्र सरकार के वर्ग 'क' अधिकारियों को अनुजीय दरों के आधार पर किया जायेगा। निदेशक द्वारा इस प्रकार से प्राधिकृत की गई सभी याजाओं के बारे में स्थायी वित्त समिति के अध्यक्ष को एक सूची भेजी जानी चाहिये।

८ - संपदा समिति

संस्थान के भवनों में परिवर्धन तथा परिवर्तन करने और भवनों की अनुरक्षण व्यवस्था तथा प्रयोग से सम्बद्ध अन्य विषयों पर विचार करने के उद्देश्य से एक संपदा समिति का गठन किया जाये। संपदा-समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा:

संयुक्त सचिव (परिवार कल्याण) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सदस्य

अध्यक्ष

सम्बद्ध वित्त सलाहकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि

वरिष्ठ वास्तुविद् (सीनियर आर्कटिक्ट) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

सदस्य

निदेशक

संयोजक

निदेशक द्वारा छोटे निर्माण कार्य, प्रत्येक केस मैं रु०२५,००० की सीमा के भीतर, संपदा-समिति को बिना कोई संदर्भ भेजे ही कराये जा सकते हैं।

९- संस्थान से सम्बद्ध भवन एवं भूमि

- 1- संस्थान द्वारा संस्थान की भूमि तथा भवनों का प्रयोग संस्थान के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा तथा जब उक्त उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता न हो तो इन्हें प्रबन्ध-निकाय द्वारा दियेगये निर्देशों के आधार पर ऐसे व्यक्तियों अधिकारियों अन्य संस्थानों से सम्बद्ध कायलियों अथवा प्रयोगशालाओं द्वारा अधिवास के लिए अलाट किया जा सकता है।
- २- जहां तक सम्भवः हो , निर्देशक द्वारा भवनों का आबटन तथा भवनों के किराये का निर्धारण तथा किराये की वसूली मूल-नियम ४५-ए , ४५-बी , तथा ४५-सी , में दिये गये प्रावधानों के अनुसार तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये पूरक नियमों के आधार पर की जायेगी।
- 3- संस्थान के किसी कर्मचारी को यदि संस्थान के परिसर में आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो आवास ग्रहण करने के पश्चात , उसे प्रबन्ध निकाय द्वारा निर्धारित किराया तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- ४- संस्थान के कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टरों का आबटन प्रबन्ध निकाय द्वारा धारण किये गये आब-टन -नियमों के आधार पर किया जायेगा।
- पुरुस्कार, अध्येतावृतियां (फैलोशिप) आदि प्रदान करने संबंधी अधिकार

संस्थान द्वारा अपने प्रशिक्षणार्थियों अथवा विद्यार्थियों को ऐसा पुरुस्कार, स्मारिका, वज़ीफा तथा अध्येतावृति प्रदान किया जा सकता है जो प्रबन्ध, निकाय द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाता है।

11- व्यारव्यानों का प्रबन्ध करने संबंधी अधिकार

- 1- संस्थान द्वारा समय-समय पर विशेषज्ञों की उचित फीस अथवा मानदेय देकर संस्थान में व्यारव्यान देने के लिए आम न्त्रित किया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु उन्हें, केवल भारतवर्ष की सीमा के भीतर यात्रा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के समकक्षा स्तर के कर्मचारियों को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते की दरों के आधार पर यात्रा भत्ता दिया जायेगा।
- २- किसी भी व्यारव्याता को देय फीस अथवा मानदेय की दरें ऐसी होंगी, जो प्रत्येक मामले में निदेशक द्वारा निश्चित की जाती हैं, किन्तु ये दरें प्रबन्ध निकाय द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों की सीमा से अधिक नहीं होंगी।

भाग- 3, सेवा उप विधियां

१२- कर्मचारियों का पूर्णकालिक सेवक होना

किसी माम ले में जब तक अन्यथा स्पष्ट रुप से कोई
प्रावधान न किया गया हो, तो संस्थान के कर्मचारी का
पूरा समय संस्थान की सेवा में रहेगा तथा बिना किसी प्रकार
के अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावे के उसे नियुक्त-प्राधिकारी
द्वारा जिस ढंस से अपेक्षित हो उस ढंग से नियुक्त किया
जा सकता है।

13- स्थायी तथा अस्थायी पद

संस्थान में कोई भी पद या तो "स्थायी पद" होगा अर्थात एक ऐसा पद जिस के साथ अनिश्चित कालाविध के लिए निश्चित दर पर वेतन स्वीकृत हो, अथवा "अस्थायी पद" होगा अर्थात एक ऐसा पद जिसके साथ निश्चित कालाविध के लिए निश्चित दर पर वेतन स्वीकृत हो।

१४- पदों का वर्गीकरण

- क- संस्थान के सभी पदों को निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत किया जायेगा:
 - 1 वर्ग"क" परिशिष्ट –। केभाग"क^{*}के अनुसार
 - २- वर्ग "ख" परिशिष्ट-। के भाग "ख" के अनुसार
 - 3- वर्ग "ग" परिशिष्ट-। के भाग "ग" के अनुसार

४- वर्ग"घ"- परिशिष्ट-१ के भाग"घें के अनुसार

ल- प्रबन्ध निकाय दुवारा:

- 1- किसी भी वर्ग में किसी भी पद का मुजन करने हेतु >
- २- किसी भी वर्ग में किसी भी पद को समाप्त करने हेतु; निर्देश दिया जा सकता है।

१५- नियुक्ति प्राधिकारी

संस्थान के अन्तर्गत पदों पर नियुक्तियां निम्न प्राधि-कारियों द्वारा की जार्येगी :

- निदेशक पदंपर नियुक्ति भारत सरकार की पूर्वानुमित से प्रबन्ध निकाय द्वारा की जायेगी।
- २- वर्ग "क" पदों पर नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी।
- 3- वर्ग "ल" तथा "ग" पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जार्येगी; तथा
- ४- वर्ग "घ" पंदों पर नियुक्तियां उप-निदेशक (प्रशासन) द्वारा की जायेंगी।

१६- भर्ती की विधि

1- संस्थान के अन्तर्गत पदों पर भर्ती:

क- सीधी भर्ती द्वारा 🖍 अथवा

- ल- पदोन्नति दुवारा 🗸 अथवा
- ग- प्रतिनियुक्ति / बाह्य सेवा के आधार पर किसीब्यक्ति की नियुक्ति करके : अथवा
- घ- अनुबंध के आधार पर की जायेगी।
- २- प्रत्येक पद के लिए भर्ती-नियम होंगे। इर्न्हें प्रबन्ध-निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। भर्ती नियम तैयार करते समय मुख्य रुप से निम्नांकित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाये:

क- आयु सीमा

- १ वर्ग "क" के अन्तर्गत प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक पदों पर भर्ती के लिए उच्चतम आयु-सीमा ५० वर्ष हो , तथा वर्ग "क" के अन्तर्गत अन्य सभी पदों के लिए ४० वर्ष हो ।
- २- वर्ग "ल" पर्दों के लिए उच्चतम आयु सीमा 3५ वर्ष , तथा वर्ग "ग" तथा "घ" पर्दों के लिए 3० वर्ष।
- 3- सीधे भर्ती किये जा रहे व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु-सीमा की शर्त ऐसे विभागीय आवेद को पर लागू नहीं हो , जो सीधी भर्ती के लिए प्रतिभागी हों।
- ४ आयु सीमा की गणना करने के लिए वर्ष की प्रथम जुलाई को निणीयक तिथि माना जाये।

ल- शौक्षाक योग्यतार्थे

निर्धारित डिग्निया / डिप्लोमें /स्टीं फिकेट मान्य ता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से होने चाहियें अथवा भर्ती उद्देश्यों हेतु भारत सरकार द्वारा उनके समकक्षा घोषित हुए होने चाहियें।

ग - भर्ती की पद्धिति

- १- केवल संयुक्त निदेशक के पद को छोड़कर , जिसे पदोन्नित द्वारा भरा जा सकता है , प्राध्यपाक , सह-प्राध्यापक तथा सहायक-प्राध्यापक के सभी अन्य पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जार्येगे।
- २- उप-निर्देशक (प्रशा०) का पद तथा लेखा अधिकारी का पद तथा ऐसे अन्य सभी पद जिनके लिए संभरक पद (फीडर पोस्ट) उपलब्ध नहीं हो , उन्हें बाह्य सेवा के आधार पर प्रति - नियुक्ति करके भरा जा सकता है अन्यथा सीधी भर्ती दुवारा भरा जाये।
 - अन्य सभी पदों को भरने के लिए, जहां तत्काल निचला वर्ग विद्यमान है तथा जो सीधे क्रम में पदोन्नति के लिए संभरक कैडर/पदों के रूप में हो सकता है, वहां पदोन्नति के लिए कोटा निधितित किया जाये। जहां केवल एक ही उच्च पद है, उसे पदोन्नति द्वारा भरा जाये, अन्यथा इसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाये। जहां दो अथवा अधिक पद उपलब्ध हैं, उनमें से ५० प्रतिशत रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा तथा ५० प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा तथा ५० प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाये

संस्थान के प्रबन्ध-निकाय द्वारा २८ जनवरी , १९८२ को पारित संशोधन : "उप-निदेशक (प्रशा०) के पद को बाह्य सेवा शर्ती पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाये तथा लेखा अधिकारी के पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाये ऐसा नहो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाये"।

- ४- पदोन्न ति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए नीचले कैडर में कम से कम तीन संभरक पद होने चाहिये।
- ५- सेवा अवधि की गणना करने हेतु निर्णायक तिथि के रूप में उस मास की पहली तारीख रखी जानी चाहिए जिस मास में विभागीय पदोन्नित सिमिति की बैठक आयोजित की जानी हो।

घ- शोध अनुभव/प्रकाशन

इस मामले में निम्नां कित प्रक्रिया धारण की जाये:
किसी उपयुक्त अनुसंधान पद पर अनुसंधान कार्य का
अनुभव / राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों
में प्रकाशित मौलिक अनुसंधान कार्य / प्रबन्ध-लेख
के रुप में अथवा तकनीकी प्रतिवेदन के रूप में अथवा
समकक्ष स्तर के सरकारी अथवा स्वशासी संगठन के
किसी प्रकाशन में प्रकाशित अनुसंधान कार्य / अथवा
राज्य स्तर पर / राष्ट्रीय अथवा अन्तर-राष्ट्रीय स्तर
पर आयोजित किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रस्तुत
एवं स्वीकृत अनुसंधान कार्य।

१७- सीधी भर्ती

- 1- सीधी भर्ती के माध्यम से किसी भी पद पर कोई भी नियुक्ति, चयन-सिमिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।
- २- निदेशक पद को छोड़कर, वर्ग "क" के अन्य पदों के लिए स्थायी-चयन-समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:
 - क- निदेशक पदको छोड़कर वर्ग "क" के अन्तर्गत सहायक-प्राध्यापक तथा उससे उपरी स्तर के पदों अथवा समकक्षा स्तर के पदों के लिए:

वैकल्पिक उपाध्यक्षा (सचिव/अपर सचिव) परिवार कल्याण विभाग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

प्रबन्ध निकाय द्वारा अपने सदस्यों - - सदस्य में से नामित तीन सदस्य

निदेशक

- सदस्य-सचिव

- अध्यक्ष

इसके अतिरिक्त प्रबन्ध निकाय के अध्यक्षा द्वारा विषय से सम्बद्ध, संस्थान से बाहर के तीन विशेषज्ञों को नामित किया जायेगा जो चयन समिति की सहायता करेंगे।

स्थायी चयन समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा तथा प्रबन्ध निकाय के गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के साथ-साथ समाप्त होता रहिगा।

ख- वर्ग "ख" पदों की चयन -सिमिति निम्न प्रकार से गठित होगी

गिदे शक

- अध्यक्ष

निदेशक द्वारा सम्बद्ध विभाग से तथा / अथवा संबंधित विभाग से नामित दो अधिकारी

- सदस्य

उप-निदेशक (प्रशा०)

-सचिव

ग- वर्ग "ग" पदों की चयन सिमति निम्न प्रकार से गठित होगी:

> निदेशक अथवा, उसके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी

-अध्यक्ष

निदेशक द्वारा सम्बद्ध विभाग से तथा/अथवा उससे संबंधित विभाग से नामित दो अधिकारी

- सदस्य

उप-निदेशक (प्रशा०)

- सचिव

घ-वर्ग "घ" पदों के लिए चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी:

उप -निदेशक (प्रशा०)

-अध्यक्ष

निदेशक द्वारा नामित दो अधिकारी

- सदस्य

अनुभाग अधिकारी

- सचिव

- 3- सीधी भर्ती द्वारा पदों पर आवेदकों का चयन करने के मामले में निम्नांकित प्रक्रिया धारण की जायेगी:
 - क- वर्ग "क" तथा "ख" पदों पर जब कभी भी सीधी भर्ती की जाती है, संस्थान द्वारा रिक्तियों की सूचना रोजगार कार्यालय को दी जायेगी तथा इसके साथ ही विज्ञापन भी किया जायेगा। जहां तक वर्ग "ग" तथा "घ" संबंधी रिक्तियों का प्रश्न है, उन पदों के लिए चयन केवल रोजगार कार्यालय द्वारा नामित किये गये व्यक्तियों में से किया जायेगा तथा इन रिक्तियों का विज्ञापन केवल उस स्थिति में ही किया जायेगा जब संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा आवेदकों के संबंध में "अनुलब्धता प्रमाणपत्र "जारी किया जा चुका हो।
 - ख- उच्च पदों पर भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय (कार्य-लयों) द्वारा नामित व्यक्तियों के साथ संस्थान के वर्ग

"ग" तथा "घ" कर्मचारियों के आवदनों पर , उनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित न होने पर भी, सीधे रंगरुट (डारेक्ट रिकरुट) के रूप में विचार किया जायेगा बशर्ते कि वह निर्धारित शौक्षा क योग्यातार्ये आदि रखते हों। विभागीय आवदकों को किसी प्रकार से वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी और न ही उन का साक्षात्कार रोजगार कार्यालय से नामित आवेदकों से पहले किया जायेगा।

- ग- संस्थान के किसी भी पद पर आवेदक का चयन, संस्थान द्वारा दिये गये विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले आवेदकों में से अथवा रोजगार कार्यालय द्वारा नामित किये गये आवेदकों में से किया जायेगा। किन्तु ऐसे पदों के लिए जहां प्रत्युत्तर कम हों तथा जहां उपयुक्त आवेदकों द्वारा आवेदन करने की सम्भावना कम हो, वहां सम्भानित आवेदकों से भी सम्पर्क स्थापित किया जाये, किन्तु उन्हें भी औपचारिक रुप से आवेदन करना होगा तथा विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों के साथ चयन-समिति द्वारा इस प्रकार से किये गये आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा।
- ४- संस्थान की नियमित स्थापना के अन्तर्गत मृजित वर्ग "घ" पदों, जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने अपेक्षित हैं, पर दैनिक मजदूरों की नियुक्ति निम्नां कित शर्ती पर की जायेगी:
 - क- नियमित स्थापना के अन्तर्गत मृजित पद पर रेसे किसी भी दैनि क- मजदूर की नियुक्ति नहीं की ज्ञानी चाहिए र जिसका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं।

ख- रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त दैनिक मजदूर , जिन्हें कम से कम दैनिक मजदूर के रूप में २४० दिन की अवधि (दो वर्ष की निरन्तर अवधि में सेवा की टूटी-अवधि सहित) का अनु-भव प्राप्त हो , रोजगार कार्यालय को कोई और संदर्भ भेजे बिना , उन्हें भी संस्थान की नियमित स्थापना के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य समभा जायेगा।

१८- पदोन्नति द्वारा भर्ती

क- किसी भी वर्ग के अन्तर्गत किसी भी पद पर पदोन्न ति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति, चाहे मूल है सियत (सबस्टेन्टिव कपेसिटी) में हो अथवा स्थानापन्न आधार पर हो, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नीचले ग्रेड के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों में से प्रवरण पदों (सलेक्शान पोस्ट) के मामले में "वरिष्ठता" को समुचित महत्व देते हुए "मेरिट" (गुण) के आधार पर की जायेगी तथा गैर-प्रवरण पदों (नॉन सलेक्शान पोस्ट) के मामले में "वरिष्ठता तथा पाशता" (सीनियरिटी-कम - फिटनेस) के आधार पर की जायेगी।

ल- विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार से होगाः

१- वर्ग "क" के अन्तर्गत निदेश के पद को छोड़कर , सहायक - प्राध्यापक तथा उससे उपरी स्तर के पदों तथा अन्य समकक्षा स्तर के पदों पर पदोन्नति के लिए: सचिव/अपर-सचिव - अध्यक्ष परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवार्ये अथवा - सदस्य उनके द्वारा नामित व्यक्ति प्रवन्ध निकाय के अध्यक्ष द्वारा - सदस्य नामित विषय से संबंधित एक विशेषज्ञ (एक्सपर्ट), जो संस्थान से बाहर का व्यक्ति हो। निदेशक - सदस्य-सचिव

२- वर्ग "क" के अन्तर्गत अन्य पर्दों के लिए:

निदेशक - अध्यक्षा
संबंधित विभागध्यक्षा - सदस्य
निदेशक द्वारा नामित किसी दूसरे - सदस्य
संबंधित विभाग का विभागध्यक्षा
प्रवन्ध निकाय के वैकल्पिक उपाध्यक्षा - सदस्य
द्वारा नामित विषय से सम्बद्ध एक
विशेषज्ञ , जो संस्थान से बाहर का
व्य क्ति हो।

उप-निदेशक (प्रशा०) - सचिव

3- वर्ग "ल" तथा "ग" पदो पर पदोन्नति हेतु:

निदेशक अथवा निदेशक द्वारा - अध्यक्ष नामित कोई अधिकारी

| | सम्बद्ध विभाग अथवा / तथा विभाग से सम्बद्ध अन्य किसी विभाग का | - सदस्य |
|------------|--|-----------|
| | विभागाध्यक्ष | |
| | निदेशक द्वारा नामित एक विशेषज्ञ, जो संस्थान से बाहर का ब्यक्ति हो | - सदस्य |
| | उप-निदेशक (प्रशा०) | - सिच्च |
| % - | वर्गघ पदौंपर पदोन्नति हेतुः | |
| | उप-निदेशक (प्रशा०) | - अध्यक्ष |
| | निदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी | - सदस्य |
| | निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य, जो संस्थान से बाहर का व्यक्ति हो | –सदस्य |
| | अनुभाग अधिकारी | – सचिव |

१९- नियुक्ति हैतु योग्यतार्थे :

संस्थान में किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु वही आयु सीमा तथा योग्यतार्थे रखी जार्थेगी जो भर्ती नियमों में निर्धारित की जाती हैं। सामान्यतः ये नियम केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समकक्षा पदों / राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थानों के अन्तर्गत समकक्षा पदों के लिए निर्धारित नियमों के समान रुप होंगे।

२०- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण:

संस्थान में पदों पर नियुक्तियां करते समय नियोक्ता-प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन=जातियों आदि पर लागू होने वाले आरक्षण तथा उन्हें मिलने वाली अन्य रियायतों के बारे में समय-समय पर जारी होने वाले सरकारी आदेशों का पालन किया जायेगा।

२१- <u>आवेदन शुल्क तथा साक्षात्कार हैतु उपस्थित होने के लिए याशा-</u> भत्ते का भुगतान

- 1- संस्थान में वर्ग "क" तथा "ल" पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से प्रत्येक पद के लिए आवेदन प्रभार के रूप में रू० ८ /- लिए जायेगें। परन्तु इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के आवेदकों तथा विस्थापित व्यक्तियों को अनुज्ञेय सभी रियायतें प्रदान की जायेंगी।
- २- साक्षात्कार हेतु चुने गये आवदकों को सरकारी नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर अनुज्ञेय दरों के अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा।

२२- शारीरिक-स्वस्थता

सीधी भर्ती द्वारा किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि:

- 1- उसे सरकारी नियमों के अन्त र्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य घोषित नहीं कर दिया जाता : तथा
- २- नियोक्ता प्राधिकारी इस बारे में संतुष्ट नहीं होता कि उसका चरित्र तथा पूर्ववृत ठीक है।

२3- मूल-नियुक्ति के समय अग्रिम-वेतनवृद्धि प्रदान करना

नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर किसी कर्मचारी की संस्थान में किसी पद पर उसकी मूल-नियुक्ति के समय उसकी योग्यताओं एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त औचित्य होने पर, अग्रिम वेतन-वृद्धियां प्रदान की जा सकती हैं, जो पांच से अधिक नहीं होंगी।

२४- परिवीक्षा अवधि

- 1- वर्ग "क", "ल" तथा "ग" पदों पर नियुक्त /पदोन्नत कर्मचारी दो वर्ष की अवधि तक तथा वर्ग "घ" के कर्मचारी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा-काल में कर्मचारी को संतोषजनक सेवार्ये प्रदान करनी. होंगी, यदि वह संतोषजनक सेवार्ये प्रदान करने में असफल रहता है तो बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसकी सेवार्ये समाप्त की जा सकती हैं। परन्तु नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उसकी परिवीक्षा अविध में बढ़ोतरी अथवा कमी की जा सकती है।
- २- ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को संस्थान के अन्तर्गत किसी पद पर उसे परिवीक्षाधीन रखकर नियुक्ति की जाती है तथा परिवीक्षा-अविध में उसे पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा वह संतोषजनक ढंग से परिवीक्षा अविध पूर्ण नहीं कर पाता तो उसे नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा:
 - 1- उस स्थिति में जब उक्त व्यक्ति की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा अथवा विभागीय आवेदक के रुप में सीधी भर्ती द्वारा की गई हो, तो उसे उक्त नियुक्ति से पूर्व वह जिस पद पर था उसी पद पर प्रत्यार्वित (रिवर्ट)

किया जा सकता है।

- २- यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की गई हो तो उसे ऐसी स्थिति में बिना कोई पूर्व सूचना दिये नौकरी से हटाया (टमॉिनेट) किया जा सकता है।
- 3- संस्थान के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से अथवा पदोन्नति के माध्यम से किसी भी स्थायी पद पर नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति संतोषजनक ढंग से परिवीक्षा अविध पूरी कर लैने के पश्चात उस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

२५- अस्थायी तथा स्थायी सेवा

- 1- कोई भी कर्मचारी संस्थान में तब तक अस्थायी कर्मचारी रहेगा जबतक उसे संस्थान के अन्तर्गत स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किया जाता।
- २- संस्थान के अन्तर्गत किसी भी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी संस्थान का स्थायी कर्मचारी होगा।

२६- सेवार्ये समाप्त करना

नियोक्ता-प्राधिकारी द्वारा:

- 1- प्रथम बार नियुक्ति के फलस्वरुप परिवीक्षा अविधि में बिना कोई कारण बताये किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये
- २- उक्त परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा)

नियमावली , १९६५ में दिये गये उपबन्धों के अन्तर्गत , अस्थायी कर्मचारी की सेवार्ये समाप्त की जा सकती है।

२७- वरिष्ठता (सीनियरिटी)

प्रत्येक श्रेणी में संस्थान के कर्मचारियों की वरिष्ठता, जिस ग्रेड के लिए उन्हें नियुक्ति हेतु चुना गया था उसके अनुसार गुणानुक्रम (आर्डर आफ मेरिट) के आधार पर निधिरित की जायेगी, जिन्हें पहले चुना गया है, उन्हें बाद में चुने गये लोगो से वरिष्ठ माना जायेगा।

"मौजूद कर्मचारियों" की वरिष्ठता उसी प्रकार रहेगी, जिस प्रकार यह २१ मार्च, १९६५ को थी।

भूत पूर्व राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान तथा राष्ट्रीय स्वा-स्थ्य प्रशासन एवं शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों तथा जिनकी भर्ती प्रतिनियुक्ति / बाह्य सेवा शर्तों पर की गई है और जो लोग संस्थान में समाद्दत (एक्ज़ोरब) होते हैं /हो गये हैं , उनका पार-स्परिक-वरिष्ठता - क्रम , कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित किया जायेगा।

२८- छुट्टियां

संस्थान के कर्मचारी ऐसी सभी छुट्टियों तथा छुट्टी बेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1९७२ के अन्तर्गत समकक्षा वर्ग के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं, किन्तु संस्थान के अन्तर्गत पदों पर बाह्य सेवा की शर्तों पर प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों पर इस संबंध में उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों में दिये गये प्रावधान लागू होंगे।

२९- अंशादायी भविष्य निधि

- संस्थान के कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर आये अथवा बाह्य 1-सेवा शर्तो पर नियुक्ति कर्मचारियों को छोड़कर) केन्द्र सरकार की अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियमों के मॉडल पर आधारित संस्थान की अंशदायी भविष्यनिधि योजना में शमिल होने के लिए पात्र होंगे। संस्थान की सेवा में पुनर्नियुक्त किये गये सेवा-निवृत तथा रिटायर्ड अधिकारियों को भी अंशदायी भविष्य निधि में अंशादान करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, परन्तु जहां पुनर्नियुक्ति की अविध एक वर्ष अथवा इससे कम हो, किन्तु जहां बाद में इस अविध को एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जाता है , उस स्थिति में पुनर्नियुक्ति का एक वर्ष पूरा होने के पश्चात ही संस्थान का अंशदान तथा उसके साथ ब्याज उनके खाते में जमा किया जायेगा । यदि पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है तो संस्थान का अंशादान तथा उसके साथ उपरकथित ब्याज ऐसी पूरी अवधि तक देय होगा > जितनी अवधि तक पुनर्नियुक्त अधिकारी को अंशादायी भविष्य निधि में अंशदान करने की अनुमति दी जाती है।
- २- मौजूदा कर्मचारी" २२ मार्च , 1९६५ से अथवा एक वर्ष की निरन्तर नौकरी पूरी करने के पश्चात से अथवा जो भी बाद में लागू हो , उस तिथि से अंशादायी भविष्य निधि में अंशादान करने के पात्र होंगें। इस उद्देश्य हेतु इस उप-उपविधि के अन्तर्गत सेवा अविध की गणना करने के लिए २२ मार्च , 1९६५ से पूर्व भारत

सरकार के आधीन प्रदानकी गई सेवा अवधि की गणना भीकी जायेंगी।

30- "मौजूदा कर्मचारियों" को पेंशनभत्तो संबंधी सुरक्षा

उप-विधि २२ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी
जिन "मौजूदा कर्मचारीयों" ने सरकारी नियमों के अन्तर्गत
उन्हें उपलब्ध पेंशन-लाभ के लिए विकल्प (ऑपशान) किया
है, उनका स्थानान्तरण होने के पश्चात वह कर्मचारी
सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये पेंशन-उदारीकरण-लाभों
के लिए हकदार होंगे । इस प्रकार के केसों में सेवा-निवृति
संबंधी लाभों का भुगतान करने का दायित्व परिशिष्ट - २
के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों के अनुसार सरकार तथा
संस्थान दोनों पर साभे ठप से होगा।

31- शिपक्षीय लाभ योजना

संस्थान द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से, अन्य शैक्षिक संस्थाओं में लागू शिप्क्षीय लाभ योजना के आधार पर, अपने कर्मचारियों को ग्रेचूटी तथा पेंशन सुविधार्ये देने के लिए उपयुक्त प्रकार की एक शिपक्षीय -लाभ-योजना बनाई जा सकती है।

3२- डयूटी से अनुप स्थिति

जब तक प्रबन्ध निकाय के अध्यक्ष द्वारा अपवाद स्वरूप स्थितियों में अन्यथा निर्णय न लिया जाये तब तक संस्थान का कोई भी स्थायी कर्मचारी अपने पद से निरन्तर पांच साल से अधिक अवधि के लिए दूर नहीं रहसकता, बशर्ते कि वह छुट्टी पर नहीं अथवा निलंबित न हो।

33- अधिवर्षिता (सुपरएनुएशन)

भारत सरकार के कर्मचारियों पर सैवानिवृति के माम ले में समय-समय पर लागू होने वाले यथासंशोधित नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। किन्तु वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की अधि-वर्षिता आयु ६० वर्ष होगी।

३४- आचरण , अनुशासन तथा दण्ड

- 1- समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा
 (आचरण) नियमावली, 1९६४ संस्थान के कर्मचारियों
 पर समान रूप से लागू होगी।
- २- समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, १९६५ संस्थान के कर्मचारियों पर समान रुप से लागू होगी,परन्तु इस उद्देश्य के लिए
 - क- केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो , कर्मचारियों के अन्य मामलों में प्रवन्ध-निकाय द्वारा उन सभी अधि-कारों का प्रयोग समान रूप से किया जायेगा जिन अधिकारों का प्रयोग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग नियुक्त-प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा अपील-अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग उससे उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ल- संस्थान की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आये केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्राण तथा अपील) नियमा-वली , १९६५ के अन्तर्गत क्रमशः नियम संरव्या २० तथा २१ में दिये गये उपबन्ध लागू होंगे तथा जहां तक उक्त दोनों नियमों का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो उसके अनुसार, द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कार्यकलापों (अधिकारों) का प्रयोग प्रबन्ध-निकाय द्वारा किया जायेगा।

3५- अनुबन्ध के आधार पर नियुक्तियां

इन उप- विधियों मैं अन्त विष्ट किसी बात के होते हुए भी , संस्थान द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति की अवधि, अनुबन्ध का नवीनीकरण करने के प्रावधान सहित पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अनुबन्ध, सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फार्म में किया जायेगा तथा इस फार्म में आवश्यकतानुरुप औपचारिक संशोधन करने का प्रावधान होगा।

3६- प्रायोजनार्थे तथा प्रायोजना -कर्मचारी

क- संस्थान द्वारा ऐसी प्रायोजनायें स्वीकार की जा सकती हैं जो प्रबन्ध-निकाय द्वारा अनुसोदित कर दी गई हों अथवा प्रबन्ध निकाय द्वारा निर्धारित गाइड-लाइनस के अनुसार निदेश क द्वारा अनुमोदित की गई हों। समय-समय पर बनाये गये तथा प्रबन्ध निकाय द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अन्तर्गत दी गई शर्तो के आधार पर निदेश क द्वारा इस उंद्देश्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।

- ख- इस विशय में जब तक विस्तार-युक्त नियम तैयार नहीं कर लिए जाते तथा प्रबन्ध निकाय द्वारा इन नियमों को अनु-मोदित नहीं कर दिया जाता तब तक निदेशक को भारत सरकार की अनुमित से बाह्य संस्थाओं से प्रायोजनायें स्वीकार करने तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए फण्ड स्वीकार करने का अधिकार होगा / बशार्ते कि ऐसी प्रायोजनाओं /अनु-संधान कार्यक्रमों के उद्देश्य संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरुप हों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए महत्त्वपूर्ण हों।
- ग- जब तक विस्तार युक्त नियम तैयार नहीं कर लिए जाते तथा जब तक प्रबन्ध निकाय द्वारा इनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तब तक निदेशक को प्रबन्ध निकाय के वैकल्पिक-उपाध्यक्ष की अनुमाति से पदों का सृजन करने का अधिकार होगा तथा उन पदों पर निर्धारित वैतनमान तथा सेवा शर्ती पर, जो संस्थान के अन्तर्गत समकक्षा श्रेणी के पदों पर लागू होती हैं, व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा, किन्तु यह नियुक्तियां छः से अधिक अवधि के लिए नहीं की जायेंगी। इस प्रकार के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए प्रत्येक केस में स्थिति की आवश्यकता अनुसार वह अपनी इच्छा से तदर्थ चयन समितियां गठित कर सकता है। ऐसे प्रायोजना-पदों, को भरने के लिए जिनकी अवधि तीन माह अथवा इससे कम हो, रोजगार कायलिय (कायलियों)को उनसे नामांकन प्राप्त करने के लिए प्रन्दह दिन का नोटिस दिया जायेगा तथा ऐसी स्थिति में जब निर्धारित तिथि तक न।मांकन प्राप्त नहीं होते तो रिक्तियों को अन्यथा भरा जायेगा।

घ- यदि प्रायोजना / योजना की स्वीकृत शर्तों में अन्यथा विशेष प्रावधान न हो तो निदेशक को प्रायोजना / योजना की समाप्ति पर बची हुई भण्डार-सामग्री का निपटान करने संबंधी पूरे अधिकार होंगे।

3७- परामर्श सेवायें

१ - प्रबन्ध निकाय द्वारा स्वीकृत की जाने वाली शतों के आधार पर संस्थान द्वारा परामर्श सेवार्थे प्रदान की जायेगी।

3८- बाह्य सेवा /प्रतिनियुक्ति

संस्थान के कर्मचारियों को देश में तथा देश से बाहर स्थानान्तरित अथवा प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

3९- कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधार्ये

संस्थान के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उसी प्रकार चिकित्सकीय सहायता (सुविधार्ये) अनुज्ञेय होंगी जैसी कि समकक्षा श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होती हैं।

४०- मकान-किराया-भत्ता

संस्थान के ऐसे कर्मचारी जिन्हें संस्थान की और से आवास उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, वह कर्मचारी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर मकान-किराया-भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

४१ - ऋण तथा अग्रिम

संस्थान के कर्मचारी सभी प्रकार के ऋण तथा अग्रिम, ऐसी शार्ती पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो शर्ती उनके समकक्षा स्तर के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

४२- सेवा संबंधी अन्य शर्ते'

ऐसे मामलों में जिनके बारे में इन उप-विधियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उन मामलों में संस्थान के कर्मचारियों पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा संबंधी सामान्य शर्ते, वेतन, भत्ते, याजा-भत्ते तथा दैनिक-भत्ते सिहत, छुट्टी -वेतन, कार्यारम्भ-काल (ज्वानिंग टाइम), बाह्य सेवा शर्तों आदि संबंधी नियम तथा भारत सरकार द्वारा इस विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेश तथा निर्णय समान रूप से लागू होंगे ।

भाग-४- वित्तीय उप-विधियां

४ 3 - वजट-प्रावकलन तैयार करना तथा स्वीकृति

- 1 निदेशक द्वारा प्रबन्ध निकाय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष संस्थान की आय तथा व्यय के बारे में विस्तारयुक्त प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
- २- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान यदि किसी ऐसी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने का प्रस्ताव होता है, जिसे संबंधित वर्ष के बजट प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में कथित योजना के लिए स्वीकृत बजट में से वित्तीय व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में प्रबन्ध निकाय की स्वीकृति लीजायेगी। निदेशक द्वारा अपने कार्यालय में एक बजट रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें वह भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तथा अन्य म्रोतों से प्राप्त धन के बारे में प्रविष्टि करेगा तथा प्रत्येक उद्देश्य केलिए निधिरित की गई राशिका उल्लेख करेगा। निदेशक द्वारा वार्षिक शेष (अनूअल- बैलेंस) की शुद्धता के बारे में लेखा-परीक्षक को एक प्रामाण पश जारी किया जायेगा।
 - उ- ऐसी सभी योजनाओं के बारे में प्रबन्ध-निकाय की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है, जिन योजनाओं के लिए संस्थान के फण्ड से वित्तीय ब्यव स्था करने का प्रस्ताव हो।
 - ४- फण्ड उपलब्ध होने की स्थिति में, किसी नई योजना के लिए अतिरिक्त-अनुदान अथवा संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए नये आकस्मिक-व्यय के बारे में निम्नांकित सीमा तक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है:

TO 1,00,000

अध्यक्ष

निदेशक

80 24,000

४४- स्वीकृत बजट प्राक्कलनों की सूचना जारी करना

निर्णायक रूप से स्वीकृत प्राक्कलनों की एक प्रति लेखा-परीक्षक को भेजी जायेगी। इसी प्रकार वर्ण के दौरान प्राक्कलनों में स्वीकृत किये गये फेरबदल (अन्तर) के बारे में भी सूचना प्रेषित की जायेगी।

४५- विनियोजन

- 1- ऐसी किसी भी मद पर होने वाले ब्यय के लिए संस्थान के फण्ड का विनियोजन नहीं किया जायेगा जिस के बारे में इन उप-विधियों के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता।
- २- विनियोजन की मूलभूत इकाई एक मुख्य शीर्ष होंगी, जिसे उसके अधीनस्थ उप-शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। लेखा के मुख्य -शीर्ष तथा उप-शीर्ष उसी प्रकार के होगें, जिस प्रकार के प्रत्येक वर्ष के बजट-प्राक्कलन के लिए अनुमोदित किये जाते हैं।

४६- पुनर्विनियोजन

निदेशक को एक मूलभूत इकाई के ही अन्तर्गत विनियोजन की एक गौण इकाई से दूसरी गौण-ईकाई में फण्ड का पुनर्वि-नियोजन करने का अधिकार होगा। निदेशक द्वारा एक मूल-भूत ईकाई से दूसरी ईकाई में फण्ड का पुनर्विनियोजन केवल स्थायी वित्त समिति की अनुमति से ही किया जा सकता है।

४७- व्यय संबंधी स्वीकृति

- 1- निदेशक द्वारा व्यय के मामले में प्रबन्ध निकाय द्वारा स्वीकृत अनुदान के अनुसार निगरानी रखी जायेगी तथा ऐसे मामलों में जहां व्यय स्वीकृत अनुदान की सीमा से बढ़ गया हो अथवा बढ़ जाने की संभावना हो उस स्थिति में वह अति रिक्त अनुदान की व्यवस्था के लिए कार्यवाही . करे अथवा विनियोजन की अन्य ईकाईयों में से संभावित बचत से पुनर्विनियोजन करें।
- २- सक्ष्म-प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना संस्थान के फण्ड से किसी प्रकार का व्यय नहीं किया जायेगा।
- 3- निदेशक को किसी भी ऐसी मद पर होने वाले व्यय संबंधी ब्यौरे को मंजूरी देने के पूर्ण अधिकार होंगे, जिसे बजट में सम्मिलित किया गया हो तथा जिस के बारे में सक्षाम-प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी गई हो।
- ४- व्यय के लिए दी गई कोई भी मंजूरी तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक इन उप-विधियों के अन्तर्गत इस आशय के लिए फण्ड का विनियोजन नहीं हो।

४८- अनुबन्ध

संस्थान के उचित ढंग से कार्य संचालन के लिए आवश्यक सभी करारों , अनुबन्धों आदि पर संस्थान की और से निदेश क द्वारा हस्ताक्षार किये जार्येंगे तथा इन्हें निष्पादित किया जायेगा।

४९- बैंक खाता

संस्थान के फण्ड का खाता भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायेगा तथा चालू-खाते के माध्यम से संचालित किया जायेगा। किन्तु फण्ड के ऐसे हिस्से को जिसकी व्यय के लिए कुछ समय तक आवश्यककता न हो , को अल्प – कालिक सावधि जमा खाते में निवेश करके अथवा बैंक नियमों के अनुसार आरक्षित फण्ड के रूप में बैक के बचत -फण्ड में जमा कराकर सब्याज-खातों में रखा जाये। सब्याज-खातों में रखी गई राशि की व्यय के लिए जब भी आवश्यकता पड़े , इसे चालू खातें में स्थानान्तरित किया जाये।

- २- संस्थान की ओर से निम्नांकित अधिकारियों में से किन्ही दो अधिकारियों द्वारा बैंक-खाते के सभी चैकों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षार किये जायेंगे तथा सभी बिलों, नोटों तथा परक्राम्य काग-जातों (नेगोशिएबल इन्सटरुमैंण्टस) आदि को ड्रा, स्वीकार तथा निष्पादित किया जायेगा:
 - 1- निदेशाक
 - २- उप-निदेशक (प्रशासन)
 - अादान तथा संवित्तरण अधिकारी
- 3 संस्थान को देय सभी चैकाँ, बिलों, नोट्स तथा परक्राम्य कागजातों (नेगोशिएबल इन्सटरुमैण्टस) का संस्थान की ओर से पृष्ठांकन, आदान एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ४- संस्थान को ओर से ऋण , अग्रिम अथवा ऋणादान संबंधी सभी मामले निदेशक द्वारा तय किये जायेंगे तथा प्रबन्ध निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

५० फण्ड-आहरण (ड्रावल) तथा लेखा-जोखा रखना

१- बैंक से फण्ड का आहरण इन उप-विधियों में उल्लिखत तरीकों के अनुसार चैक के माध्यम से किया जायेगा। चैक-बुकें निदेशक की व्यक्तिगत निगरानी में अथवा इस कार्य के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की निगरानी में रहेंगी।

- २- अधिकारियों के वेतन, भत्तों और यात्रा भत्तों तथा आक-स्मिक बिल, निर्धारित फार्मी में आहरित (डा) किये जायेंगे। तथा आदान एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जार्येंगे। लेला अधिकारी दुवारा सभी बिलों की जांच की जायेगी तथा बिलों को भुगतान हेतु पास किया जायेगा। कर्मचारियों के वेतन तथा भन्तों संबंधी बिलों पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे निदेशक दुवारा आदान तथा संवितरण अधिकारी के रूप में घोषित किया गया हो। आक-स्मिक - बिलों तथा याशा भत्ते संबंधी बिलों को लेखा अधि-कारी द्वारा भुगतान हेतु पास करने से पूर्व इन पर निदेशक दुवारा प्रतिहस्ताक्षार किये जायेंगे अथवा निदेशक की ओर से इस उदुदेश्य के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे। वेतन तथा भत्तों संबंधी मासिक बिल लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पास किये जायेंगे। नि देशक दुवारा जैसा भी निर्णय लिया जाये तदुनुसार भुगतान की अदायगी डिमाण्ड डाफट अथवा चैक अथवा कैश द्वारा की जायेगी।
- 3 निर्देशक द्वारा संस्थान के मामलों से संबंधित सभी प्रकार की धनराशि तथा सम्पित के बारे में नियमित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा तुलन पश सिंहत वार्षिक-विवरण तैयार किया जायेगा तथा यह लेखा जोखा ऐसे फार्म में रखा जायेगा / जिसे संस्थान से संबंधित लेखा-परीक्षाक से परामर्श करके संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेखा-परीक्षा तथा लेखा संबंधी सभी मामलों के बारे में लेखा-अधिकारी द्वारा निर्देशक को परामर्श प्रदान किया जायेगा। संस्थान की उप-विधियों के अनुसार संस्थान के लेखा-जोखा को सही तथा पूरा रखने के बारे में वह (लेखा-अधिकारी) निर्देशक के प्रति उत्तरदायी होगा।
- ४ संस्थान कामूल-लेखानिम्नांकितफार्मी में रखाजायेगाः

- 1- कैश बुक / लेजर
- २- प्रतिभूति रजिस्टर
- 3- रसीद बुक
- ४- चैक-बुकों का स्टाक रजिस्टर
- ५- रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर
- ६- गैर-व्यय सामग्री के स्टाक का रजिस्टर
- ७- छुट्टी तथा पेंशन अंशदान रजिस्टर
- ८- स्थायी तथा अस्थायी अग्रिमों के बारे में रजिस्टर

५१- लेखा-परीक्षा

- १ संस्थान के खातों की लेखा-परीक्षा प्रति-वर्ण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षाक, भारत सरकार द्वारा अथवा इस उद्देश्य हेतु उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी तथा निदेशक द्वारा इस कार्य हेतु अपेक्षित उसे सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। संस्थान से लेखा-परीक्षाक को लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक सभी कागजात, बहियां, खातें, वाउचर तथा अन्य कागजात मांगने तथा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- २- लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा के परिणाम निदेशक को सूचित किये जायेंगे तथा निदेशक द्वारा लेखा-परीक्षा रिपॉट की प्रति , अपनी टिप्पणियों सहित , प्रबन्ध-निकाय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार को प्रस्तुत की जायेगी । लेखा-परीक्षाक द्वारा भी सीधे ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को रिपॉट की एक प्रति प्रेषित की जायेगी ।
- 3- लेखा-अधिकारी द्वारा संस्थान के फण्ड से होने वाले सभी भुगतानों के बारे में पूर्व-लेखा परीक्षा ढंग की जांच की जायेगी तथा इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त रजिस्टर रखे जायेंगे।

४- नियम-विनियमों अथवा इन उपविधियों के अन्तर्गत सक्ष्म -प्राधिकारियों द्वारा दी गई सभी स्वीकृतियों , प्रत्यायोजन संबंधी आदेशों , जिनके फलस्वरुप संस्थान का लेखा प्रभा-वित होता हो , को लेखाबद्ध किया जायेगा , तथा इस की सूचना लेखापरीक्षक को दी जायेगी ।

५२- वित्तीय तथा अन्य अधिकारों का प्रयोग करना

गन्न तक नियमों तथा विनियमों और इन उप-विधियों में कोई अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, तो निदेशक द्वारा तथा प्रवन्ध निकाय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली 1९७८, सामान्य वित्तीय नियमों, मूल-नियमों तथा कोष-नियमों आदि के अन्तर्गत क्रमशः विभागाध्यक्षों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों तथा भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किया जाये। प्रवन्ध-निकाय द्वारा, अध्यक्ष को अपने (प्रवन्ध-निकाय की ओर से) ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है, जो संस्थान के दैनिक प्रशासन के सुचार ढंग से संचालन करने के लिए आवश्यक समभे जार्ये।

२८ जनवरी , १९८२ को आयोजित अग्ठवी बैठक में प्रबन्ध निकाय द्वारा उप-विधि-५२ (1) में पारित संशोधन:

> "बजटीय सीमा के भीतर लेखन सामग्री , मुद्रण तथा जिल्द-साजी , तथा अनाव तीं एवं आवर्ती किस्म के व्यय करने , और संस्थान के हित में अप्रयोज्य एवं हासशील सामग्री (इन्सर्विसिएबल एण्ड पेरीशिएबल आर्टीकल्स) को नीलामी द्वारा अथवा अन्य ढंग से बेचने संबंधी आदेश करने के भी पूर्ण अधिकार होगें।"

इन उप-विधियों के अन्तर्गत निदेशक को प्रदत्त अधिकारों में से निदेशक द्वारा उप-निदेशक (प्रशा०) अथवा वर्ग "क" के किसी अन्य अधिकारी को, सभी अधिकारों अथवा किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए ऐसी शर्ता के आधार पर जिसे वह (निदेशक) आवश्यक समके, प्राधिकृत किया जा सकता है।

५3- उप -विधियों में संशोधन करना

इन उप-विधियों में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए भारत सरकार की पूर्व-अनुमित प्राप्त करनी होगी।

परिशिष्ट - १

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अन्तर्गत पदौं की अनुसूची (उप-विधि-१४)

भाग 'क' (वर्ग 'क')

१ - निदेशक ₹0 २५00-124/2-26 40 * २- संयुक्त-निदेशक €0 2240-124/2-2400 * 3 - प्राध्यापक (चिकित्सीय) \$0 1200-100-2000-124/2-2240+ ४ - प्राध्यापक गैर-चिकित्सीय) €0 1400-E0-1200-100-200 0 ५- उप-निदेशक (प्रशासन) 50 1400-E0-1200 ६ - सह-प्राध्यापक (चिकित्सीय) 80 1100-40-1400-E0-1200 T ७ - सह-प्राध्यापक (गैर-चिकित्सीय) क० 1300-५०-1७०० ८ - सहायक-प्राध्यापक (चिकित्सीय) ₹0 1100-40-1E00-E0-1200 *

९- सहायक-प्राध्यापक (गैर-चिकित्सीय) रु० 1100-५०-1500

1०-वरिष्ठ प्रालेखन अधिकारी 50 1100-40-1E00

१ 1 – अनुसंधान अधिकारी (चिकित्सीय) ७० ७००-४०-९००-द-रो-४०-11००-५०-13०० ☀

1 २--अनुसंधान अधिकारी(गैर-चिकित्सीय) क० ७००-४०-९००-द-रो-४०-। 1००-५०-। ३००

1 3 – सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी 🗸 ग्रेड – २

₹0 900-80-600-4-51-80-1100-40-1300° क निष्ठ वेत नमान

वरिष्ठ वेतनमान * 0031-00-10 0F

रु० ७०० -४०-९००-द-रो-४० -1100-५०-1300 १४-तकनीकी अधिकारी (प्रालेखन)

१ ५-तकनीकी अधिकारी(रेपरोग्राफी) **क**0 ७०० -४०-९०० -द-रो-४० -1100-५०-1300

 इन पदौँ के साथ भारत सरकार दुवारा स्वीकृति दरौँ पर प्रैिक्टसबंदी भत्ता भी सम्मिलित है।

टिप्पणी: ** संकाय पदों के वेतन मानों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव विचारा-धीन है। अतः संकाय पदों के वेतनमानों के स्थान पर इस श्रेणी के पदों के लिए स्वीकृत किये जाने वाले वेतनमानौ को रक्षा जायेगा।

प्रबन्ध निकाय द्वारा २१-१०-८१ को आयोजित, बैठक में पारित तथा २१-१०-८१ से लागू निम्नांकित संकाय पदों के संशोधित वैतनमानः

₹0 1 400-E0-1200 -100-2000-124/2-2400 प्राध्यापक (चिकित्सकीय)

+ एन पीए क० ५००/-

₹0 1400-E0-1200-100-2000-124/2-2400 २ - प्राध्यापक (गैर-चिकित्सकीय)

3 - सह-प्राध्यापक (चिकित्सकीय) 1200 -1300-60-1900

+ एनपीए रु० ४००/-

४ - सह-प्राध्यापक(गैर-चि कित्सकीय) TO 1200-40-1300-E0-1900

५ – सहायक – प्राध्यापक (चिकित्स कीय) क० 11००-५०-१५०० -६०-१८०० + एनपीए क० ३०० ∤

६ - स हायक - प्राध्यापक (गैर-चिकित्स कीय)रु० 1100-५०-1५00 -६०-१८००

भाग- ख (वर्ग- "ख")

२- आशुलिपिक, ग्रेड-२

६- वरिष्ठ मशीन प्रचालक

3 - क्रय-सहायक ४ - वरिष्ठ प्रारुपकार

५- अनुसंधान सहायक

| 1 - | लेखा अधिकारी | ₹० ८४०-४०-१०००-द-रो-४० -१२०० |
|------------|-------------------------------|---|
| ą – | अनुभाग अधिकारी | कo ६५०-३०-७४० -३५-८१०-द-रो-३५ <i>-</i> ८८०- |
| | - | ४०-१००० -द-रो-४०-१२०० |
| 3 - | भण्डार अधिकारी | यथापूर्व |
| 8 - | स्वास्थ्य शिक्षक | यथापूर्व |
| 4 - | पुस्तकाध्यक्षा | यथा पूर्व |
| | प्रशिक्षण अधिकारी | यथापूर्व |
| 9 - | हिन्दी अधिकारी | यथापूर्व |
| | कार्यशाला एवं अनुरक्षाण अ | धिकारी यथापूर्व |
| 9- | आशुलिपिक ग्रेड-1 | €0 E40-30-480-34-220-द-रो-80-9E0 |
| | | (२य) रु० ५५० -२५-७५०-द-रो-३० -९०० |
| 11- | - फोटोग्राफर | यथा पूर्व |
| 1 2- | - वरिष्ठ कलाकार | यथा पूर्व |
| 13- | - उप –संपादक | यथा पूर्व |
| 1 8- | - वरिष्ठ तकनीकी सहायक | यथा पूर्व |
| 14- | - सहायक अनुसंधान अधिकारी | यथा पूर्व ं |
| 1 6- | - कैम रामैन (माइक्रोफिल्मिंग) | [*] यथा पूर्व |
| 16- | सिल्क सक्रीन तकनीशियन | यथापूर्व |
| 14- | • वरिष्ठ पब्लिक हैल्थ नर्स | यथा पूर्व |
| 1 9 | - लेखग्पाल | ₹0 400-20-400-4-21-24-9€0 |
| भाग | ा- ग (वर्ग - "ग") | |
| 1 - | सहायक | क0 ४२५-14-400 -द-रो-14-4E0 -२० <i>-</i> ७०० |
| | | |

प्रबन्ध निकाय द्वारा २८ जनवरी, १९८२ को आयोजित बैठक में पारित तथा २८ जनवरी, १९८२ से लागू सहायक अनुसंधान अधि-कारी पद के लिए संशोधित वेतनमानः

द -रो-२५ -८००

यथा पूर्व यथा पूर्व

000-49-003-05-0040 OF

यथापूर्व

क० ६५०-३०-७ ५०-३५-८१०- द०रो०-३५-८८० -४०-१०००-द०रो०- ४०-१२००

₹0 \$24-14-400-द-रो-1 4-4E0-20-400

| 9 - 1 | पब्लिक हैल्थ नर्स | ₹0 844-14-4E0-द-रो-२0-9 00 | |
|--------------|--|--|--|
| <u>:</u> - : | आफसैट प्रेस प्रचालक | | |
| ۱- ا | कैमरा मैन एवं प्लेट मेकर | यथापूर्व | |
| | आई-बी-एम-टाइपमशीन प्रचा | | |
| 11- 6 | तकनीकी सहायक (उत्पादन) | यथापूर्व | |
| | तकनीकी सहायक (श्रव्य-दृश्य) | | |
| | _ | ह० ४२५-१५-५००-द-रो-१५-५६०-२०-७०० | |
| 18- | <u> </u> | यथापूर्व | |
| | कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक | यथापूर्व | |
| | विधुत पर्यविकाक | यथापूर्व | |
| | थियेट र सिस्ट र | कo ४२५-१५-५६०-द-रो-२० -६४० | |
| 12- | | यथापूर्व | |
| 1 9- | | ६० ३८० -१२-४४०-द-रो-१५-५६०-द-रो- | |
| | | 50-580 | |
| 20- | अवधायक/केयर टेकर | य थापूर्व | |
| 21- | | क० ३८०-१२-४४०-द-रो-१५-५६०-द-रो- | |
| | ************************************** | 50-E 80 | |
| २ २- | वायरमैन एवं मकेनिक | कo ३८०-१२-५००-द-रो-१५-५E० | |
| 23- | | य थापूर्व | |
| | प्रयोगाशाला तकनीशिय न | यथापूर्व | |
| | | क0 330-10-320-द-रो-1२-400-द-रो-14-48 | |
| | मशीन प्रचालक | यथापूर्व | |
| | कुंजी छिद्रक प्रचालक | य था पूर्व | |
| | लेडी हैल्य विज़ीटर | यथापूर्व | |
| | प्रारुपकार | यथापूर्व | |
| 30- | ग्रेनिंग मशीन प्रचालक एवं | NAS 1 48 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |
| 31- | 2 . | यथा पूर्व | |
| 3 2- | 1 | यथापूर्व 🛭 | |

प्रबन्ध निकाय द्वारा २७ जून , १९८१ को आयोजित बैठक में पारित तथा २७ जून , १९८१ से लागू प्रक्षेपक पद के लिए संशोधित वेतनमानः

क० ४२५-१५-५3०-द-रो-१५-५६०-२०-६००

| 33- | उच्च श्रेणी लिपिक | क० ३३०-१०-३ ८०-द-रो-१ २-५००-द-रो- १५-५६० |
|--------------|--|---|
| 38- | उच्चश्रेणी लिपिक एवं | रु० 330-10-3८०-द-रो-1२-400-द-रो- |
| | रोकडिया | 1 ५ - ५६० + विशो ष वेतन |
| 3 4 - | अग्शुलिपिक , ग्रेड- 3 | क0 330 -10-3८०-द-रो-१२-५००-द-रो- |
| | artist to the second se | 14-480 |
| 38- | स्वाग ती | यथा पूर्व |
| 36- | कनिष्ठ कलाकार | रु० ३३० -८-३७०-१०-४००-द-रो-१० -४८० |
| 36- | प्रूफ- रीडर | यथा पूर्व |
| | क्षेत्र-कार्यकर्ता | यथापूर्व |
| X0- | निम्न श्रेणी लिपिक | रु० २६०-६-२९०-द-रो-६ -३२६-८-३६६- |
| | | द-रो-८-३९०-१०-४०० |
| 81- | हिन्दी टाइपिस्ट | यथापूर्व |
| 82- | सहायक भण्डारी . | यथापूर्व |
| ¥3- | सहायक- प्रक्षेपक | यथापूर्व |
| | पतालेखी प्रचालक | य था पूर्व |
| 84- | फीडर | क० २ ६०-६-३२६-द-रो-८-३५० |
| 4E- | मूल वाचक/काषी होल्डर | य थापूर्व |
| 86- | पुस्तकालय परिचर | यथापूर्व |
| 86- | | यथापूर्व |
| | बढ़ई | यथापूर्व |
| | वरिष्ठ गेस्टेटनर् प्रचालक | यथापूर्व |
| | नलसग्ज | यथापूर्व |
| 49200000 | · · · · · · · · | |

भाग - घ (वर्ग- "घ**ँ**)

| 1 - | जिल्दासाज र | 0 : | २१०-४-२५०-द-रो-५-२७० |
|------------|--------------------------|-----|----------------------|
| ₹- | इन्कमैन | | यथापूर्व |
| 3 - | क्षेत्र परिचर | | यथापूर्व |
| 8- | क्लिनिक परिचर/महिला परिच | 7 | यथापूर्व |
| u - | कनिष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक | | यथापूर्व |

| E - | पुस्तकालय परिचर (कनिष्ठ) | ७० २१०-४-२५०-द-रो-५-२७० |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 6 – | दफ्तरी | ७० २००-३-२०६-४-२३४-द-रो-४ -२५० |
| 4- | पैकर | यथापूर्व |
| 9- | क्लीनर | यथा पूर्व |
| 10- | रसोइया | यथा पूर्व |
| 11- | सहायक रसोइया | क० १९६-३-२२०-द-रो-३-२३२ |
| 1 2- | सहायक रसोइया एवं बैरा | यथापूर्व |
| 13- | बैरा | यथा पूर्व |
| 18- | कक्षापरिचर | यथा पूर्व |
| 14- | मशालची | यथा पूर्व |
| 1 6- | चपरासी | े य था पूर्व |
| 10- | फराश | यथा पूर्व |
| 1 4- | चौकीदार | यथार्ष्यू |
| 1 9- | स्वीपर/मेहत्तर | यथा पूर्व |
| | पशुपरिचर | यथापूर्व |
| | माली | यथापूर्व |
| २ २- | प्रोसेसिंग परिचर | यथापूर्व |
| ₹3- | आफ्सैट हैल्पर | यथापूर्व |

(उप -विधि 30)

"केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान" के सरकारी कार्यालय से स्वायत्त निकाय के रूप में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप इसमें स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी शर्ती के बारे में निर्णय।

1- इस प्रकार स्थानान्तरित स्थायी सरकारी कर्मचारियों को यह चुनाव कर ने का हक दिया गया था कि या तो वह सरकारी नियमों के अन्तर्गत अनु ज्ञेय पेंशन लाभों का चुनाव कर लें अथवा संस्थान के नियमों के अनुसार मिलने वाले लाभों का चुनाव कर लें। जिन लोगों ने सरकारी नियमों के अन्तर्गत अनु ज्ञेय पेंशन लाभों को प्राप्त करते रहने के लिए विकल्प (ऑपशन) दिया है, वह स्थानान्तरण के पश्चात सरकारी पक्षा की ओर से लागू किये गये पेंशन नियमों संबंधी उदारीकृत लाभों को प्राप्त करने के हकदार बने रहेंगे।

अर्ध-स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संस्थान में संपुष्टि (कनफरमेशन) हो जाने पर विकल्प (ऑपशन) देने का यह अधिकार उन्हेंभी उपलब्ध होगा।

२- (1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी ने सरकार के अन्तर्गत
उपलब्ध सेवा शर्तों को प्रतिधारित करने के लिए विकल्प
(आपशन) दिया है/देता है जिसके अन्तर्गत पेंशन लाभों का
प्रावधान है तथा जहां संस्थान की अपनी कोई पेंशन योजना
नहीं है, वहां सरकार द्वारा उन्हें पेंशन देने के लिए उत्तर दायित्व लेना होगा, किन्तु सरकार द्वारा संबंधित व्यक्ति
के रिटायर हो जाने पर उसके सेवा-काल के आधार पर
निर्धारित, संस्थान की ओर से दिये जाने वाले पेंशन अंशदान
के पूंजीकृत मूल्य (पेंशन का परिवर्तित मूल्य पाकम्यू टिड वैल्यू)
तथा मृत्यु-एवं-सेवा-निवृति उपादान के बराबर राशि की
कटौती उस निकाय से की जायेगी।

- २- केन्द्रीय सरकारी नियमों को प्रतिधारण करने वाले कर्मचारी की संस्थान के अन्तर्गत सेवा अविध में मृत्यु हो जाने की स्थिति में मृतक के परिवार को केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशान/मृत्यु तथा सेवा-निवृति उपदान अनुज्ञेय होगा तथा जैसा कि उपर उपधारा-(1) में दिया गया है, उसकी देनदारी में भी हिस्सा करना होगा।
- 3- ऐसे मामलों में जहां संस्थान में स्थानान्तरित सरकारी कर्म-चारियों दुवारा संस्थान के नियमों को प्रतिधारित करने का चुनाव किया गया हो / चुनाव किया जाता है तथा जहां संस्थान के नियमों में अंशादायी भविष्य निधि के लाभों का प्रावधान होता है, उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी को, यदि वह सरकारी सेवा में होता तो अंशदायी भविष्य निधि की शार्ती के अनुसार सरकारी अंशादान के रूप में उसे जो राशि प्राप्त होती, उस राशि के बराबर की राशातथा सरकार के अन्तर्गत सेवाकाल की अवधि के लिए उस राशि पर दो प्रतिशत की दर से सामान्य ब्याज-राशि संस्थान के अन्तर्गत उसके अंशादायी भविष्य निधि लाते में आदिशेष के रूप में , सरकार द्वारा उसकी संस्थान में संपुष्ट (कंफर मेशन) हो जाने की तिथि से जमा कराई जायेगी, और यह भुगतान करने पर सरकार के अन्त गीत उसकी सेवा के बारे में सरकार का दायित्व समाप्त हुआ माना जायेगा।

परन्तु यह कि इस रियायत के लिए अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता, किन्तु इस प्रकार के प्रत्येक माम ले में गुणावगुणों (मेरिट) के आधार पर सरकार द्वारा स्वेच्छा से यह रियायत मंजूर की जा सकती है। ४- ऐसे मामलों में जहां संस्थान में स्थानान्तरित कर्मचारी द्वारा संस्थान के नियमों को प्रतिधारित करने का चुनाव किया गया हो / किया जाता है, तथा जहां संस्थान के नियमों में पेंशन का पावधान हो, उस स्थिति में संस्थान से सेवा-निवृति हो जाने पर कर्मचारी को पेंशन का भुगतान करने का दायित्व संस्थान पर होगा, किन्तु सरकार तथा संस्थान के बीच पेंशन संबंधी दायित्वों के बारे में निधरिण उस की सेवा अविध के आधार पर किया जायेगा। सरकार अपनी ओर से दिये जाने वाले पेंशन अंश के पूंजीकृत-मूल्य का संस्थान को भुगतान करके अपने हिस्से के दायित्व को पूरा कर देगी।